रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 22 जनवरी, 2008 / 2 माघ, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A

NOTIFICATIONS

Shimla-2, 18th January, 2008

NO. GAD-A(F)9-2/2007.— In continuation to this Department's Notification of evennumber dated 29th September, 2007, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the Gazetted Holiday account of "**Rakshabandhan"** which is falling on 16th August ,2008 for the woman employees only under section 25 of Negotiable Instruments Act,1881 and also to the daily wage lady employees only.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

Shimla-2, 18th January, 2008

NO.GAD-(E) F (4)-8/98.— In exercise of the powers vested in him under section 7(1)and 7(2) of H.P. Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Ravi Dhingra, Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh as Chairman-cum-Managing Director of H.P. Ex-Servicemen Corporation,Hamirpur till further orders. He will hold the post of Chairman–cum-Managing Director of H.P.Ex-Servicemen Corporation in addition to his own duties as Chief Secretary of the State.

2. Lt. Col. (Retd) Mohinder Singh Chairman-cum-Managing Director H.P. Ex servicemen Corporation Hamirpur will stand relieved of his assignment as Chairman-Cum Managing Director, H.P. Ex-servicemen Corporation, Hamirpur with immediate effect.

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to appoint/nominate the following official Directors on the Board of Directors of the H.P.Ex-Servicemen Corporation:-

1. Secretary to the Govt. of H.P. in the Finance Department.

2. Secretary to the Govt. of H.P. in the Agriculture Department

3. Secretary to the Govt. of H.P. in General Administration Department.

4. The Director of Industries, H .P.

By order,
RAVI DHINGRA,
Chief Secretary.

———

Shimla-2 the 18th January, 2008

No. GAD-A(F)9-2/2007.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare Gazetted holiday on account of "**Bhai Dhuj**" which is falling on 30th October, 2008 for the woman employees only working in all Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in Himachal Pradesh This will also be a holiday for the woman employees with in the mean of section 25 of Negotiable Instruments Act,1881 and also to the daily wage lady employees only.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 2 जनवरी, 2008

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0 / 428.–हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 62 की उप–धारा (1); धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ड.); तथा धारा 181 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस द्वारा बनाए गए, तथा तारीख 21 जून 2007 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधरण) के अंक में प्रकाशित, और तद्परान्त तारीख 16.11.2007 के राजपत्र (हिमाचल प्रदेश) (आसाधारण) के अंक में प्रकाशित इस आयोग की अधिसूचना द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसीटी रेगुलेटरी कमिशन (पॉवर प्रोक्यूरमेंट फ्रोम रिन्युएवल सोरस्जि एण्ड को–जन्रेशन बाई दी डिस्ट्रीबुशन लाईसेन्सी) रेगुलेशनज, 2007 का निम्नलिखित हिन्दी पाठ प्रकाशित करता हैः–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से विद्युत उपापन) विनियम, 2007 है।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**.– इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) " अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) " आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) " सशक्त समिति" से विनियम 4 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत हैं;

(घ) "उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से ऊर्जा उत्पादन करता है अथवा करना चाहता है;

(ड.) ''ग्रिड कोड'' से अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इस में अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड भी सम्मिलित है;

(च) ''हिमऊर्जा'' से लघु जल–विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संगठित हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण अभिप्रेत है;

(छ) ''अन्तरायोजन सुविधाएँ'' से वे सभी सुविधाएँ अभिप्रेत हैं, जिन में परियोजना से विद्युत उत्पादन के निकास हेतु उत्पादक के खर्चे पर अन्तरायोजन बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित एवं

सन्धारित परियोजना लाइनों को आने वाली तार–शाखाओं के लिए, बिना किसी सीमा के, स्विचिंग उपस्कर, नियन्त्रण, संरक्षण तथा मीटरिगं यन्त्र इत्यादि भी सम्मिलित हैं;

(ज) ''अन्तरायोजन बिन्दु'' से वह प्राकृतिक स्पर्श बिन्दु अभिप्रेत है जिस पर परियोजना लाइनें तथा सभी सम्बद्ध उपस्कर, जो अन्तरायोजन सुविधाओं के भाग हैं, अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से जुड़ते हों;

(झ) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदत की गई है अथवा कोई समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है;

(ञ) ''परियोजना'' से ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से विद्युत उत्पादित करने हेतु उत्पादन परियोजना अभिप्रेत है और उस में परियोजना लाइनें तथा अन्तरयोजन सुविधाएं भी सम्मिलित हैं;

(ट) ''परियोजना लाइन (नों)'' से अभिप्रेत ऐसी पारेषण लाइनें हैं, जो उत्पादन केन्द्र से अन्तरायोजन बिन्दु को उत्पादक द्वारा परियोजना के भाग रूप में स्थापित, प्रचालित तथा सन्धारित की जाती हैं, परन्तु इन में अन्तरायोजन सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं;

(ठ) ''विनियम'' से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से विद्युत उपापन) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ड) ''नवीकरणीय स्त्रोत तथा सह–उत्पादन'' से इस संदर्भ में, गैर–परम्पररिक ऊर्जा उत्पादन स्त्रोत, अभिप्रेत है जिनमें 25 मैगावाट की / तक की क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाएं, पवन, सौर, जैव द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया, शहरी / नगरीय कचरा स्त्रोत तथा केंन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दूसरे अन्य स्त्रोत भी आते हैं;

(ढ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; तथा

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और यहाँ परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन के लिए अधिनियम में नियत किए गए हैं; उन पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु विशेष रूप में इन विनियमों में अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सक्षम विधानमण्डल द्वारा पारित और राज्य में विद्युत उद्योग में लागू किसी विधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगें जो उनके लिए उक्त विधि में नियत किये गए हैं; उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है परन्तु विशेष रूप से इन विनियमों में अथवा अधिनियम में अथवा सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित विधि में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो सामान्यतः उनके लिए विद्युत उद्योग में दिए जाते हैं।

3. उर्जा नवीकरणीय स्त्रोत अभिवृद्धि.– (1) कोई भी उत्पादक, स्थापित क्षमता का विचार किए बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली और / या वितरण प्रणाली या ग्रिड तक हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तें) इविनियम, 2005 के अन्तर्गत खुली पहुँच का हकदार होगा। अनुज्ञप्तिधारी, उक्त व्यक्ति के आवेदन पर, समुचित अन्तरायोजन सुविधाएं उपलब्ध करेगा तथा उक्त सुविधाएं विद्युत को ग्रिड से जोड ने के लिए प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अथवा ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुकलू होंगीः

परन्तु यह कि उत्पादक केवल अन्तरायोजन बिन्दु तक ही उस द्वारा संयोजन पर किए गए व्यय का वहन करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी परियोजना लाइन(ों) का संयोजन अपने निकटतम नियन्त्रण उप–केन्द्र से उपलब्ध करेगाः

परन्तु यह कि उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी के लिए अपने निकटतम नियन्त्रण उप–केन्द्र से संयोजन उपलब्ध करना साध्य नहीं है तो वह उत्पादक को अन्य साध्य संयोजन उप–केन्द्रों को उपलब्ध करने का प्रस्ताव करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उक्त प्रस्ताव को उन कारणों सहित, जिन से निकटतम उप–केन्द्रों से संयोजन उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां पर मार्गाधिकार की समस्या है, अथवा अनुज्ञप्तिधारी के उप–केन्द्रों पर स्थान की कमी है अथवा उत्पादक स्वेच्छा से वरण करता है, वहां उत्पादक, आयोग के अनुमोदन से, दो या अधिक परियोजनाओं के लिए संयुक्त परियोजना लाइनों के उपयागे हेतु उपयुक्त व्यवस्था बना सकता है तथा संयुक्त निकास प्रणाली के द्वारा ग्रिड में विद्युत डाल सकता है।

(4) अनुज्ञप्तिधरी, अन्तरायोजन बिन्दु से आगे, नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से प्राप्त ऊर्जा के निकास हेतु, हिम ऊर्जा अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसका वह परामर्श लेना चाहे, के परामर्श से, परियोजना के चालू होने की सदृश अवधि के अनुरूप अवधि के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पारेषण / उप–पारेषण प्रणाली के संवर्धन तथा संस्थापन हेतु परियोजना के चालू होने तथा सम्बन्धित निकास प्रणाली के साथ मेल रखने के लिए वर्ष वार समय रेखाएँ दर्शाते हुए, व्यापक योजना बनाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी पंचवर्षिय योजना के उत्तरवर्ती अवधि के दौरान चालू की जाने वाली सम्भावित परियोजनाओं के लिए तत्स्थानी पंचवर्षिय योजना के लिए कम से कम एक वर्ष पहले ही योजना बनाएगाः

परन्तु जहां पर इस उप–विनियम के अधीन अनुमोदित योजना में अधिकथित समय रेखाओं का अनुसरण नहीं किया जाता है, वहां, यथास्थिति, व्यतिव्रम करने वाला अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक ऐसी शास्ति, जो आयोग द्वारा सुनाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अरोपित की जाए, का संदाय करने का दायी होगा।

(5) उप–विनियम (4) के अधीन बनाई गई योजना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाऐगी तथा उक्त योजना पर उपगत व्यय अनुज्ञप्तिधारी को पास थ्रू (pass through) खर्चे के रूप में अनुज्ञात होगा।

(6) उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श से तथा आयोग के पूर्वानुमोदन से, अनुज्ञप्तिधारी की ओर से अन्तरायोजन बिन्दु से आगे पारेषण प्रणाली को, निर्माण एवं अंतरण के आधार पर, संस्थापित अथवा सवंर्धित करेगा तथा उत्पादकों द्वारा किया गया उक्त खर्चा ब्याज सहित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के चालू होने की तारीख के पश्चात्वर्ती वर्ष से पांच वर्ष की अवधि में पांच बराबर समान किश्तों में प्रतिसंदत किया जाएग तथा उक्त व्यय अनुज्ञप्तिधारी को पास थ्रू (pass through) खर्चे के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

4. सशक्त समिति.– (1) आयोग विनियम 3 के प्रयाजे न हेतु, अयोग, राज्य पारेषण उपयोगिता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक के एक–एक प्रतिनिधि, जो मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष से नीचे के स्तर का न हो, की सशकत समिति बनाएगा।

(2) सशक्त समिति में आयोग का प्रतिनिधित्त्व करने वाला सदस्य उसका संयोजक होगा।

(3) सशकत समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:–

(क) आयोग के अनुमोदन से पूर्व, विनियम 3 के उप–विनियम (2) के अधीन संयोजन में बदलाव प्रस्ताव की जांच करना;

(ख) आयोग के अनुमोदन से पूर्व, विनियम 3 के उप–विनियम (3) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण पारेषण / उप–पारेषण योजना के बारे में संयुक्त निकास प्रणाली के प्रस्तावों की जाँच करना;

(ग) अनुमोदित समय रेखाओं के पालन तथा आयोग को विनियम 3 के उप–विनियम (4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिर्पोटों का अनुश्रवण करना;

(घ) विनियम 3 के उप–विनियम (6) के अधीन सर्वोत्तम आद्यौगिक पद्धति के अनुसार पारेषण / उप–पारेषण प्रणाली के संस्थापन अथवा संवर्धन का अनुश्रवण करना।

5. नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय मात्रा.– (1) आबद्ध उपयोग तथा राज्य से बाहर तीसरे पक्ष को विक्रय के वाद, बची नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से उपलब्ध ऊर्जा वितरण अनुज्ञप्तिधारी(रियों) द्वारा क्रीत की जाएगीः

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों और सह–उत्पादन से ऊर्जा की उपलभ्यता के अध्यधीन रहते हुए, इन विनियमों के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से प्राप्त ऊर्जा की न्यूनतम विद्युत क्रय मात्रा वर्ष में उसकी कुल खपत की 20 प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण.– इस विनियम के प्रयोजन हेतु ''क्रय मात्रा'' नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से प्राप्त उस ऊर्जा का योग होगी, जो सह–उत्पादन, उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों पर अधारित उत्पादन केन्द्रों तथा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से सीधे क्रय की जाती है।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी राजस्व गणना दाखिल करते समय आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से अपनी क्रय मात्रा का, पर्याप्त प्रमाण सहित, उल्लेख करेगा।

(3) आयोग, प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल में एक बार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए नवीकरणीय स्त्रोत तथा सह–उत्पादन से नियत क्रय मात्रा को पुनर्निरीक्षत कर सकेगा।

(4) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, प्रदाय की मजबूरियों अथवा अन्य अनियन्त्रित कारणों के अध्यधीन रहते हुए, उप–विनियम (1) में अधिकथित क्रय मात्रा का अधित्यजन कर सकेगा।

6. नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत का टैरिफ अवधारण.– (1) आयोग, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा क्रय के लिए टैरिफ अवधारित करेगाः

परन्तु यह कि आयोग–

(1) 5 MW तक की क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना के लिए, साधारण आदेश द्वारा, तथा

(2) 5 MW क्षमता से अधिक और 25 MW से अनधिक क्षमता वाली लघु जल परियोजनाओं के लिए व्यक्तिक परियोजना के आधार पर, विशेष आदेश द्वारा;

टैरिफ अवधारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि जब–

(i) विद्युत क्रय करार इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व अनुमोदित किया गया है और वह आयोग के ऊर्जा नवीकरणीय स्त्रोतों से सम्बन्धित विनियमों के परावधानों के अध्यधीन नहीं है; अथवा

(ii) विद्युत क्रय करार के अनुमोदन के पश्चात् विधि अथवा नियमों अथवा राज्य सरकार की नीति (पालिसी) में कोई बदलाव आता है;

तो, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत की अभिवृद्धि हेतु, आयोग, कारणों को अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, ऐसे विद्युत क्रय करार अथवा विद्युत क्रय करारों के वर्ग को पुर्नर्विलोकित अथवा उपांतरित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि यदि टैरिफ केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अवधारित किया गया हो, तो आयोग टैरिफ को अंगीकार करेगा।

(2) आयोग, विनियम 2 के खण्ड (ड) में उल्लिखित ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथ्कतया टैरिफ अवधारित करेगा।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन से प्राप्त ऊर्जा के लिए टैरिफ के लिए निबन्धन और शर्तें अवधारित करते समय, आयोग, यथासंभव, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत और विचारधारा, राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति तथा केन्द्रीय आयोग द्वारा उत्पादन टैरिफ के लिए अधिसूचित निबन्धनों तथा शर्तों से मार्गदार्शित होगाः

परन्तु यह कि आयोग, पर्याप्त कारण देकर तथा समयक तत्परता बरतते हुए तथा प्रज्ञायुक्त जाँच करके, केन्द्रीय आयोग द्वारा उत्पादन टैरिफ के निबन्धनों एवं शर्तों को बदल सकता है।

(4) टैरिफ अवधारित करते हुए, आयोग प्रत्येक नवकरणीय स्त्रोत के स्वरूप प्रौद्योगिकी ईंधन बाजार जोखिम, पर्यावारिक हित तथा समाजिक योगदान इत्यादि के आधार पर संभवनीय मात्रा में छूट दे सकेगा।

(5) टैरिफ अवधारित करते हुए, आयोग, समुचित परिचाल तथा वित्तीय बिन्दुपरिमाणों पर विचार करेगा।

(6) आयोग द्वारा 5 मैगा वाट से अनधिक की क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अवधारित टैरिफ आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख से 40 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

(7) आयोग द्वारा 5 मैगा वाट से अनधिक की क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अवधारित टैरिफ प्रत्यके पांच वर्ष के उपरान्त पुननिरीक्षत होगा और इस प्रकार से पुनरिरिक्षत टैरिफ उक्त तारीख के पश्चात् किए गए विद्युत क्रय करारों को भी लागू होगा।

7. **अध्यारोही प्रभाव.–** विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 181 के अधीन बनाए गए–

(क) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004, तथा

(ख) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में,

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

8. **कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति.–** यदि इन विनियमों में किसी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो आयोग, स्वतः अथवा आवेदन पर, साधारण या विशेष आदेशद्वारा, अनुज्ञप्तिधारी / उत्पादक तथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी समुचित कार्रवाई, जो अधिनियम के असंगत न हो और आयोग को कठिनाई दूर करने के उद्वेश्य से आवश्यक तथा समचीन लगे, करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

9. **आदेशों तथा व्यवहार सम्बन्धी निर्देश जारी करना.–** अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, समय समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा उक्त कार्यान्वयन के बारे में प्रक्रिया अपनाने तथा उसके प्रासंगिक अथवा सहायक मामलों के सम्बन्ध में आदेश और व्यवहार सम्बन्धी निर्देश जारी कर सकेगा है।

10. **आयोग की अन्तमूर्त शक्ति.–** इन विनियमों में कोई भी बात आयोग को प्रक्रियाएँ अपनाने की अन्तमूर्त शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी जो इन विनियमों के किसी उपबन्ध में फेर–बदल करती है, जो आयोग यद्यपि विशेष परिस्थिति की दृष्टि से या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी ऐसे मामले या मामलों के वर्ग के संव्यवहार के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से हटना आवश्यक या समीचीन समझता है।

11. **निर्वाचन.–** इन विनियमों के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादक आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएँगें तथा उन पर आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

आयोग के आदेश द्वारा
हस्ता0 / –
सचिव।

————————

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 18th January, 2008

No. EXN-B (2)-1/2008.— The Governor Himachal Pradesh is pleased to order the transfers and postings of following Assistant Excise and Taxation Commissioners and Excise and Taxation Officers in public interest with immediate effect:-

Sr. No.	Name	From	To
1.	Sh. Rohit Chauhan, AETC	Dharamshala	Solan vice Sh. Inder Rana, AETC.
2.	Sh. Inder Rana, AETC	Solan	Bilaspur against vacant post.
3.	Sh. Sunil Kumar, ETO	O/O ETC, H.P.	Paonta Circle vice Sh. Mahesh Kapoor, ETO.
4.	Sh. Mahesh Kapoor, ETO	Paonta Circle	O/O AETC Mandi (Sadbhawna) against vacant post.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 21 जनवरी, 2008

संख्याःसिंचाई 11–97 / 2006–ऊना.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव टब्बा, तहसील व जिला ऊना में उठाऊ सिंचाई योजना टब्बा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू –अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू–अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र / हैक्टेयर में
ऊना	ऊना	टब्बा	155 156 .	0–03–64 0–01–98
			किता–2	0–05–62 है0

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

————————

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171001

संख्या :11-1/12(Lab)ID/ 07-Baddi.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rajesh Kumar S/O Shri Chaman Lal, Village Chandpur, P.O. Khauda, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S Factory Manager, M/S Hindustan Lever Limited, Khasra No.-94-96, 355-409, Hadbasat No. 202, Maujza Balyana, Industrial Area, Barotiwala, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता हैः–

"Whether the termination of Shri Rajesh Kumar S/O Shri Chaman Lal by the Factory Manager, M/S Hindustan Lever Limited, Post Office Barotiwala, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P after successfully completion of training and probation period w.e.f. 12-01-2007 is legal and justified? If not, to what type of financial and service benefits the concerned workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/12(Lab)ID/ 07-Baddi.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ravi Dutt S/O Shri Inder Ram, Village Dagwan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. V/S The Manager, M/S Indo Farm Tractors & Motors Limited, Export Promotion Industrial Park, Phase-II, Baddi, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of Manager, M/S Indo Farm Tractors & Motors Limited, Baddi, District Solan, H.P. not to allow Shri Ravi Dutt S/O Inder Ram workman to join duty on 04-04-06 after medical certificate in PGIMER, Chandigarh is legal and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/ 07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bishan Dass S/O Shri Kirpa Ram, Village Jamula, P.O. Rajhoon, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. V/S The Director, Indo German Changer Project, Palampur, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Bishan Dass S/O Shri Kirpa Ram workman by the Director, Indo German Changer Project, Palampur, District Kangra, H.P w.e.f. 01-01-2002 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/ 07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Maghar Singh S/O Shri Karam Singh, Village Manuhal, P.O. Dagla, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. V/S The Assistant Project Director, Kandi Project, Bhadroya, Tehsil Indora, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Maghar Singh S/O Shri Karam Singh workman by the Assistant Project Director, Kandi Project, Bhadroya, Tehsil Indora, District Kangra, H.P w.e.f. 12-10-2003 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Anita Kumari W/O Shri Ram Singh, V/S Executive Engineer, Electrical Division, HPSEB Killar, Tehsil Pangi, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Smt. Anita Kumari W/O Shri Ram Singh workman by the Executive Engineer, Electrical Division, HPSEB Killar, Tehsil Pangi, District Chamba, H.P. w.e.f. Feburary, 2002 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to her are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mansa Ram S/O Shri Bhura Ram, Village Rajpura, Pargana Rajnagar, Tehsil & District Chamba, H.P. V/S District Horticulture Officer, Chamba, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Mansa Ram S/O Shri Bhura Ram workman by the District Horticulture Officer, Chamba, District Chamba, H.P w.e.f. 18-08-03 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Gegal S/O Shri Karam Singh, Village Ladair, P.O. Laihra, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division, Salooni, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, HPPWD Division, Salooni, District Chamba, H.P. to give in break is service to Shri Gegal S/O Shri Karam Singh workman during his service period time and again and finally terminating w.e.f. June, 2000 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kamal Dev S/O Shri Shanti Prasad, R/O Ward No.-1, V.P.O. Nagrota Bagwan, Tehsil & District Kangra, H.P. V/S Manager, The Kangra Valley Co-opreative Markitting & Consumer Society Limited, Nagrota Bagwan, Tehsil & District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Kamal Dev S/O Shri Shanti Prasad workman by the Manager, The Kangra Valley Co-opreative Markitting & Consumer Society Limited, Nagrota Bagwan, Tehsil & District Kangra, H.P. w.e.f. 12-08-1999 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

No. 11-85(Lab) I.D./07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Neeraj Puri S/O Shri Ishwar Chand, Mohalla Upper Julkari, P.O. Hardaspur, Tehsil & District Chamba,H.P.V/S (1)The Managing Director, H.P. Forest Corporation Ltd., Shimla (2) The Divisional Manager H.P. Forest Corporation Ltd., Chamba, District Chamba के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) Managing Director, H.P. Forest Corporation Ltd.,Shimla. (2)The Divisional Manager, H.P. Forest Corporation Ltd., Chamba, District Chamba not to regularise the services of Shri Neeraj Puri S/OShri Ishwar Chand workman w.e.f. 01-08-1999 after completion of more than 8 years service and after completing 240 days in each year is proper and justified? If not,what relief of service benefits and from which date the above aggrieved workman is entitled for regularisation to?"

———

शिमला–171001

No. 11-85(Lab) I.D./07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt.Richa W/O Shri Ramesh Bhandari, Village & P.O. Sultanpur, Tehsil & District Chamba, H.P.V/S (1) The Managing Director, H.P. Forest Corporation Ltd., Shimla (2) The Divisional Manager, H.P. Forest Corporation Ltd., Chamba, District Chamba के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the(1)Managing Director,H.P. Forest Corporation Ltd.,Shimla.(2) The Divisional Manager, H.P. Forest Corporation Ltd.,Chamba,District Chamba not to regularise the services of Smt. Racha W/O Shri Ramesh Bhandari workman w.e.f. 02-01-2003 after completion of more than 8 years service and after completing 240 days in each year is proper and justified?If not,what relief of service benefits and from which date the above aggrieved workman is entitled for regularisation to?"

———

शिमला–171001

संख्या 11-1/85(Lab) I.D./07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Manoj Kumar S/O Shri Kailash Chand, Village & P.O. Mangla, Tehsil&, District Chamba, H.P.V/S (1) The Managing Director, H. P. Forest Corporation Ltd., Shimla (2) The Divisional Manager, H. P. Forest Corporation Ltd., Chamba, District Chamba के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) Managing Director ,H.P. Forest Corporation Ltd.,Shimla.(2) The Divisional Manager,H.P.Forest Corporation Ltd.,Chamba,District Chamba not to regularise the services of Shri Manoj kumar S/O Shri Kailash Chand workman w.e.f. year, 2001 after completion of more than 8 years service and after completing 240 days in each year is proper and justified? If not, what relief of service benefits and from which date the above aggrieved workman is entitled for regularisation to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/ 07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sanjeev Kumar S/O Shri Gurcharan Dass, Village Kandi, P.O. Saithural, Tehsil Thural, District Kangra, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Shahpur, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Sanjeev Kumar S/O Shri Gurcharan Dass workman by the Executive Engineer, I.& P.H. Division, Shahpur, District Kangra, H.P w.e.f. 07/2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Kumari Promila Bhardwaj D/O Shri Deepak Bhardwaj, Village & Post Office Pathiyar, Tehsil & District Kangra,

H.P. V/S Shri Kabul Chand, Secretary, Harijan Sewak Sangh, Saproon, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Kumari Promila Bhardwaj D/O Shri Deepak Bhardwaj workman by Shri Kabul Chand Bhardwaj, Secretary, Harijan Sewak Sangh, Saproon, District Solan, H.P. w.e.f. 01-09-2004, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation of the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि The President Dharamsathal Karmchari Sangh, Deotsidh, District Hamirpur, H.P. V/S Sub Divisional Officer, Barsar-cum-Chairman, Trust Baba Balak Nath Temple, Deothsidh at Barsar, District Hamirpur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the demand raised by the President Dharamsathal Karmchari Sangh, Deotsidh, District Hamirpur, H.P. through their demand notice dated 22-01-2004 (Copy enclosd) regarding not to settle semand numbers 1, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 23, 24 and 25 before the Sub Divisional Officer, Barsar-cum-Chairman, Trust Baba Balak Nath Temple, Deothsidh at Barsar, District Hamirpur, H.P. are tenable, legal and justified? If yes, what service benefits and relief the aggrived workmen are entitled from the above employer as per demand notice? If not, what its legal effects?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Milap Chand S/O Shri Bidhi Chand, Village Gadola, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. V/S (1) Director of Education H.P., Shimla-1 (2) Deputy Director Education (Sec.) Hamirpur, H.P. (3) President/General Secretary, Narad Negi Memorial Janta High School, Kunjyan, Tehsil Bhoranj, Hamirpur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the retrenchment of services of Shri Milap Chand S/O Shri Bidhi Chand who was working as peon in Narad Negi Memorial Janta High School, Kunjyan, Tehsil Bhoranj, Hamirpur, H.P on 01-04-98 by (1) Director of Education H.P., Shimla-1 (2) Deputy Director Education (Sec.) Hamirpur, H.P (3) President/General Secretary, Narad Negi Memorial Janta High School, Kunjyan, Tehsil Bhoranj, Hamirpur, H.P on taking over the Narad Negi Memorial Janta High School, Kunjyan, Tehsil Bhoranj, Hamirpur, H.P by Education department was legal and justified? If not, what benefit, relief of service benefit, amount of compensation and any other benefit the above aggrieved workman is entitle?"

Sd/-

Labour Commissioner,

(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा)

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

संख्या: वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-15/2008 दिनांक: 18-01- 2008

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2008 (31-3-2008 तक) के लिए सदन की निम्नलिखित समितियों हेतु सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया है :-

1. लोक लेखा समिति

1.	**डा0 प्रेम सिंह**	:	**सभापति**
2.	श्री अनिल कुमार	:	सदस्य
3.	डा0 रामलाल मारकण्डा	:	सदस्य
4.	श्री सुरेश भारद्वाज	:	सदस्य
5.	श्री कुश परमार	:	सदस्य
6.	श्री सुख राम (पांवटा दून)	:	सदस्य
7.	श्री बलदेव शर्मा	:	सदस्य
8.	श्री सुधीर शर्मा	:	सदस्य
9.	श्री राकेश पठानिया	:	सदस्य
10.	श्री वीरेन्द्र कंवर	:	सदस्य
11	श्री सतपाल सिंह सत्ती	:	सदस्य

2. लोक उपक्रम समिति

1.	**श्री रूप सिंह**	:	**सभापति**
2.	श्री हरि नारायण सिंह	:	सदस्य
3.	श्री योग राज	:	सदस्य
4.	श्री जय राम ठाकुर	:	सदस्य
5.	श्री सुभाष चन्द मंगलेट	:	सदस्य
6.	श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु	:	सदस्य
7.	श्री राकेश वर्मा	:	सदस्य
8.	श्री रणधीर शर्मा	:	सदस्य
9.	श्री गोविन्द राम	:	सदस्य
10.	श्रीमती रेणू चड्ढा	:	सदस्य
11.	श्री इन्द्र सिंह	:	सदस्य

3. प्राक्कलन समिति

1.	**श्री महेन्द्र सिंह**	:	**सभापति**
2.	श्री राजन सुशान्त	:	सदस्य
3.	श्री जी.एस.बाली	:	सदस्य
4.	श्री हर्ष वर्धन चौहान	:	सदस्य
5.	श्री कुलदीप सिंह पठानिया	:	सदस्य
6.	श्रीमती उर्मिल ठाकुर	:	सदस्य
7.	श्री विपिन सिंह परमार	:	सदस्य
8.	श्रीमती विनोद कुमारी	:	सदस्य
9.	श्री राजेश धर्माणी	:	सदस्य
10.	श्री प्रवीन कुमार	:	सदस्य
11.	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर	:	

4. कल्याण समिति

1.	**श्री रिखी राम कौंडल**	:	**सभापति**
2.	श्री दिले राम	:	सदस्य
3.	श्री प्रकाश चौधरी	:	सदस्य
4.	श्री आत्मा राम	:	सदस्य
5.	श्री देस राज	:	सदस्य
6.	श्री सुरेन्द्र भारद्वाज	:	सदस्य
7.	श्री सोहन लाल	:	सदस्य
8.	श्री तेजवन्त सिंह	:	सदस्य
9.	श्री बलवीर सिंह	:	सदस्य
10.	श्री संजय चौधरी	:	सदस्य
11.	श्री किशोरी लाल	:	सदस्य

5. अधीनस्थ विधायन समिति

1.	**श्री राजन सुशान्त**	:	**सभापति**
2.	डा.रामलाल मारकण्डा	:	सदस्य
3.	श्री मुकेश अग्निहोत्री	:	सदस्य
4.	श्री देस राज	:	सदस्य
5.	श्री नन्द लाल	:	सदस्य
6	श्री गोविन्द राम	:	सदस्य
7.	श्री रणधीर शर्मा	:	सदस्य
8.	श्री निखिल राजौर (मन्नू शर्मा)	:	सदस्य
9.	श्री नीरज भारती	:	सदस्य

6. जन-प्रशासन समिति

1.	**श्री दिले राम**	:	सभापति
2.	श्री प्रकाश चौधरी	:	सदस्य
3.	श्रीमती उर्मिल ठाकुर	:	सदस्य
4.	श्री बलदेव शर्मा	:	सदस्य
5.	श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु	:	सदस्य
6.	श्री राकेश कालिया	:	सदस्य
7.	श्री तेजवन्त सिंह	:	सदस्य
8.	श्री बलवीर सिंह	:	सदस्य
9.	श्री इन्द्र सिंह	:	सदस्य

7. मानव विकास समिति

1.	**श्री सुरेश भारद्वाज**	:	सभापति
2	श्री महेन्द्र सिंह	:	सदस्य
3.	श्री रिखी राम कौंडल	:	सदस्य
4.	श्री राकेश वर्मा	:	सदस्य
5.	श्री सुख राम (पांवटा-दून)	:	सदस्य
6.	श्री वीरेन्द्र कंवर	:	सदस्य
7.	श्री राजेश धर्माणी	:	सदस्य
8.	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर	:	सदस्य
9.	श्री हीरा लाल	:	सदस्य

8. सामान्य विकास समिति

1.	**श्री हरि नारायण सिंह**	:	सभापति
2.	श्री मुकेश अग्निहोत्री	:	सदस्य
3.	श्री राकेश कालिया	:	सदस्य
4.	श्रीमती विनोद कुमारी	:	सदस्य
5.	डा0 राजीव सैजल	:	सदस्य
6.	श्री निखिल राजौर (मन्नू शर्मा)	:	सदस्य
7.	श्री संजय चौधरी		सदस्य
8.	श्री बाल कृष्ण चौहान	:	सदस्य
9.	श्री हीरा लाल	:	सदस्य

9. ग्रामीण नियोजन समिति

1.	**श्री जय राम ठाकुर**	:	सभापति
2.	श्री अनिल कुमार	:	सदस्य
3.	डा0 प्रेम सिंह	:	सदस्य
4.	श्री आत्मा राम	:	सदस्य
5.	श्री योग राज	:	सदस्य
6.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	:	सदस्य
7.	श्रीमती रेणू चड्ढा	:	सदस्य
8.	श्री बाल कृष्ण चौहान	:	सदस्य

10. विशेषाधिकार समिति

1.	**माननीय उपाध्यक्ष महोदय**	:	**सभापति**
2.	श्री राकेश पठानिया	:	सदस्य
3.	श्री विपिन सिंह परमार	:	सदस्य
4	श्री नन्द लाल	:	सदस्य
5.	श्री नीरज भारती	:	सदस्य
6.	श्री प्रवीन कुमार	:	सदस्य
7.	श्री किशोरी लाल	:	सदस्य

11. पुस्तकालय तथा सदस्य सुविधा समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष महोदय**	:	**सभापति**
2.	माननीय उपाध्यक्ष महोदय	:	सदस्य
3.	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	:	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह	:	सदस्य
5.	श्री राजन सुशान्त	:	सदस्य
6.	श्रीमती उर्मिल ठाकुर	:	सदस्य
7.	श्री सुधीर शर्मा	:	सदस्य
8.	श्री विपिन सिंह परमार	:	सदस्य
9.	श्री सोहन लाल	:	सदस्य

12. कार्य -सलाहकार समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष महोदय**	:	**सभापति**
2.	माननीय उपाध्यक्ष महोदय	:	सदस्य
3.	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	:	सदस्य
4.	श्री हर्षवर्धन चौहान	:	सदस्य
5.	श्री सुरेश भारद्वाज	:	सदस्य
6.	श्री सुरेन्द्र भारद्वाज	:	सदस्य
7.	श्रीमती विनोद कुमारी	:	सदस्य

13. नियम समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष महोदय**	:	**सभापति**
2.	माननीय उपाध्यक्ष महोदय	:	सदस्य
3.	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	:	सदस्य
4.	श्री राजन सुशान्त	:	सदस्य
5.	श्री कुश परमार	:	सदस्य
6.	श्री सुभाष चन्द मंगलेट	:	सदस्य
7.	श्री इन्द्र सिंह	:	सदस्य

14. आचार संहिता समिति

1.	**श्री तुलसी राम,** **माननीय अध्यक्ष महोदय**	:	**सभापति**
2.	प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, माननीय मुख्य मन्त्री	:	सदस्य
3.	श्रीमती विद्या स्टोक्स, नेता विपक्ष	:	सदस्य.
4.	श्री जे.पी. नड्डा, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री	:	सदस्य
5.	श्री कौल सिंह	:	सदस्य
6.	श्री रूप सिंह	:	सदस्य
7.	श्री जी.एस.बाली	:	सदस्य
8.	श्री कुलदीप सिंह पठानिया	:	सदस्य
9.	श्री बाल कृष्ण चौहान	:	सदस्य

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
सचिव।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 18 जनवरी, 2008

संख्याः वि0स0 / स्था. / पदोन्नति / 6–62 / 81.– माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय सहर्ष आदेश देते हैं कि जब तक स्थाई रूप से सचिव के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जाती तब तक श्री गोवर्धन सिंह, संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सचिव के पद पर नितान्त तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
अध्यक्ष।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित